

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलम जज
03/03/2018

दफ्तर व नार्निंग
अदकाम तो हुक्म
हुक्म की नार्निंग में
जारी हुक्म।

05/02/26

पजापली वेगा TDR राजगढ़
उप.। वकील अपाणी उप.। जवाब अपाणी
जात केस पूर्व में पेरा जो गा. वि. है।
TDR रिपोर्ट के दि. 01/11/22 के अनुसार
वर्तमान में मौके पर धर्म का संचालित
नहीं है। दुकान व मकान बना रखे है।
जवाब अपाणी के अनुसार : उक्त जमीन
के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से ~~कस~~
फवार कर रखी है स्वयं अपाणी ने
स्वयं का रिहायश मकान बना रखे है।
~~क~~ अपाणी जण ने जमीन को किसी प्रकार
की क्षति नहीं हुई है।

बध्न उमय पक्षकारन की सुनी गई।
बाद गौर TDR रिपोर्ट व पजापली
के अवलोकन के बाद गा. पज पाणी
अस्वीकार/स्वारीज किया जाता है।
पजापली नम्बर से कम होकर जमा
लेख मणार है।

800